कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय

प्लाट नं0—18, सेक्टर—7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ e-mail: chiefengineerudd@gmail.com, website: www.localbodies.co.in

पत्र संख्या- 538 /2/OM&M Cell/2022-23

दिनांकः) 4 जुलाई, 2023

सेवा में,

- 1 प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 3 निदेशक, नगरीय निकाय, निदेशालय, लखनऊ।

- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

महोदय/महोदया,

नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या—शासनादेश संख्या—5483 / नौ—5—2017—447सा / 2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा **कुल 04 जोन— लखनऊ, गोरखपुर (गोरखपुर, अयोध्या), आगरा एवं गाजियाबाद** (पालिखुआ, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) हेतु वन सिटी—वन आपरेटर सिद्धान्त पर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस०टी०पी०) व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक (10 वर्ष) के संचालन, रख—रखाव एवं प्रबन्धन की व्यवस्था की गयी है।

2. उक्त कार्य के लिए आबद्ध फर्म को कार्य/सेवाओं के सापेक्ष प्रस्तुत Payment Certificate/Bill के भुगतान एवं सैटेलमेन्ट की संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या—504/नौ—5—2020—394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की गयी है।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	। प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	 ! सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उ०प्र०	सदस्य-सचिव
5	सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	े सदस्य
6	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य

3. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा एवं गोरखपुर जोन के लिए एजेण्डा के अनुसार फर्म द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदान की गयी सेवाओं के सापेक्ष प्राप्त बिलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2023 को अपरान्ह 03:30 बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित सभागार में सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है।

भवदीय

्रमुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव

प्रतिलिपि-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग—9, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/आगरा/अयोध्या/गोरखपुर/गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।

4. मुख्य अभियन्ता (नागर / वि०यां०) प्रधान कार्यालय—उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

- 5. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ /आगरा / गाजियाबाद / गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ / आगरा / गाजियाबाद / गोरखपुर ।
- 6. अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गोरखपुर/अयोध्या/लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/ मेरठ/सहारनपुर।
- 7. समस्त महाप्रबन्धक, जल कल विभाग (नगर निगम)।
- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
- 9. सम्बन्धित फर्म।

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव

संख्या : 538/2)0M2M (Ce)1)22-23 दिनांक : 14 जुलाई 2023

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्वर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख—रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 28.06.2023 को अपरान्ह् 03:30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस०टी०पी० व इससे सम्बंधित मेन पन्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पन्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख–रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-2319/ नौ-5-2019-394सा / 2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मो के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या—849/नौ—9—19—89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रू० 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या—2748/नौ—9— 20-89ज / 2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु० 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष एस०टी०पी० के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ०प्र० जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग—5 के शासनादेश सं0—504/नौ—5—2020 -394सा / 2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा समिति गठित की हैं।

समिति की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2023 को अपरान्ह् 03:30 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों / उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जल कल विभाग, नगर निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवम् एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। एजेण्डा सं० 2 हेतु मैं0 वी-ए टेक वाबाग, आगरा पैकेज हेतु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डावार संस्तुति व तत्क्रम में दिये गये निर्देश निम्नवत हैं-

-1 (1/21/1	न । ५४ गय । नदश । नम्नवत् हः-	
एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव / विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
1	समिति की दिनांक 31 मार्च–2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।
2a)	(i) Exposure visit	(i) फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक कुल 507 विद्यार्थियों की visit करायी जा चुकी है।
	(ii) Online Registration for Exposure visit	(ii) फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि जुलाई—2023 से Online Registration लागू कर दिया जायेगा।
	(iii) National Level Conference	(iii) फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 07 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में National Level



एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
		Conference का आयोजन किया जाना है। National Level Conference का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में कराने के निर्देश समिति ने दिये।
	(iv) Inhouse Training	(iv) फर्म द्वारा समय—समय पर Inhouse Training करायी जाती है।
	(v) Practical Abroad Training	(v) फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि Bahrain में Practical Abroad Training कराया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु प्रधान कर्यालय उ०प्र० जल निगम को अधिकारी नामित करने हेतु पत्र प्रेषित है।
2 b)	प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में गिटत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि STPs पर जनित स्लज की साइंटीफिक अध्ययन कर एवम् अन्य विकल्प यथा Fisheries, Horticulture, Methane reuse, Solar power generation, treated water के credible solution इत्यादि से Revenue Generation की संभावनाओं पर कार्यवाही की जाए। फर्मों द्वारा Innovative कार्यों अथवा New Initiative की कार्य योजना आगामी बैठक में फर्म के शीर्षस्थ अधिकारियों (प्रबन्ध निदेशक स्तर के) के साथ मय प्रस्तुतीकरण प्रतिभाग करें।	समयाभाव के कारण प्रस्तुतीकरण नहीं देखा जा सका परन्तु निर्देश दिये गये कि Reuse of Water पर प्राक्कलन विरचन में फर्मों की सहायता लेते हुये अमृत 2.0 में प्राक्कलन प्रस्तुत किये जाये।
2 c)	प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ऑनलाइन बिलिंग व मॉनीटरिंग की व्यवस्था लागू की जाने हेतु निर्देशित किया गया।	समयाभाव के कारण परिचर्चा नहीं हो पायी।
	प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा OCEMS प्रणाली के लागू होने के उपरान्त वन सिटी वन ऑपरेटर के माध्यम से संचालित STPs के	समयाभाव के कारण परिचर्चा नहीं हो पायी।

Sh

Al I

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	ट्रीटेड एफ्लूएन्ट के पैरामीटर्स का OCEMS से प्राप्त रीडिंग से मिलान किया जाए।	
2 e)	विभिन्न एस०टी०पी० व एस०पी०एस० पर शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि में पौधे लगाये जाने की कार्यवाही किया जाना।	समयाभाव के कारण परिचर्चा नहीं हो पायी।
2 f)	पावर फैक्टर को Improve किये जाने के संबंध में।	समयाभाव के कारण परिचर्चा नहीं हो पायी।
2 g)	अध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० राज्य में एस०टी०पी० हेतु एन०जी०टी० के अनिस्तारित प्रकरणों का संज्ञान लेते हुये निर्देश उ०प्र० जल निगम (नगरीय) को दिये गये कि राज्य में स्थित समस्त एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव का प्रस्ताव प्राप्त किया जाए, रखरखाव मद में संभावित व्यय के वित्तीय व्यवस्था कराये जाने तथा Assets को As is Where is बेसिस पर संबंधित विभाग से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।	अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि वन सिटी ऑपरेटर के अन्तर्गत 60 दिन की समय—सीमा अन्य एस०टी०पी० व तत्संबंधी परिसम्पत्तियों सिमालित किया किया जाये। अधिशासी अभिय (ओ०एम०एण्ड एम० सेल) द्वारा अवगत कराया कि अन्य परिसम्पत्तियों को सिमालित करने बजट की आवश्यकता होगी।
2 h)	अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अनुज त्रिपाठी, मेसर्स वी०ए०टेक० वाबाग, आगरा को निर्देशित किया गया कि सोलर प्लान्ट के बारे में पूर्ण विवरण व डिजाइन/ड्रांइग के साथ प्रस्तुतीकरण मुख्य अभियन्ता के माध्यम से समिति के आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	समयाभाव के कारण परिचर्चा नहीं हो पायी।
	सिमिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के अनुसार धनावंटन उ०प्र0 जल निगम (नगरीय) के मुख्यालय को कर दिया जाये।	समयाभाव के कारण परिचर्चा नहीं हो पायी।

And Ex

एजेण्डा —	ओ०	एम0एण्ड एम0 सेल की संस्तुति अध	थवा प्रस्ताव/विवेच	ना	समिति द्वारा दिये गये
सं०					निर्देश
3 / गाजिया बाद	के र में अ के र किय	10 जल निगम द्वारा माह फरवरी—2 सत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म सेक्शन—VI, क्लॉज—6.6 के अनुस ा गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वा 0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेषि की संशोधित संस्तुति निम्नवत् है:—	ति सेल द्वारा की ग द्वारा माह मई—20 ार 75 प्रतिशत धन ारा सहमति दी गर्य त सत्यापित बिलों	ायी मूल संस्तुति के क्रम 123 के बिल का अनुबंध विंटन करने का अनुरोध ो।	उ०प्र० जल निगम
1 13-	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	39 th Payment Certificate /Bill- February, 2023 (Balance	40 th Payment Certificate /Bill- March, 2023	नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
	1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	Payment) 2,09,54,834.00	8,15,44,640.00	
	2-	जी०एस०टी० (18%)	37,71,870.00	14678035.00	
	3-	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)		977656.00	
	4-	उ०प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	20,95,483.00	8154464.00	
	5-	योग (1+2+3+4)	2,68,22,187.00	10,53,54,795.00	
	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	41 th Payment Certificate /Bill- April , 2023	42 th Payment Certificate /Bill- May, 2023 (Adhoc	
	1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	8,08,63,058.00	Payment) 6,14,26,919.00	
	2-	जी०एस०टी० (18%)	1,45,55,350.00	1,10,56,845.00	
_	3-	पयूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	7,18,815.00	14,08,579.00	
	4-	७०प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज∕ सुपरवीजन चार्जेस (10%)	80,86,306.00	61,42,692.00	
	5-	योग (1+2+3+4)	10,42,23,529.00	8,00,35,035.00	
	6-	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		5,546.00	
u/		0	4)



My of on all

एजेण्डा सं0	ओ०ए	म०एण्ड एम० सेल की संस्त्	रुति अथवा प्रस्ता	व / विवेचना		समिति द्वारा दिये गये निर्देश
	7-	आवंटित की जाने वाली ६ में से एस्क्रो एकाउंट में निदेशक, उ०प्र० जल निगम् जमा की जाने वाली धनरा विवरण	प्रबन्ध म द्वारा	2,02,58,437.5	0	
4 / लखनऊ	बिलों उ०प्र	जल निगम द्वारा माह मा पर धनावंटन की संस्तुति :	ओ०एम०एण्ड एम०) सेल द्वारा की	गयी।	समिति द्वारा धनावंट की संस्तुति तथा उ०प्र जल निगम (नगरीय /नगर आयुक्त ए महाप्रबन्धक, जलकर
	<i>∀ल</i> क्र. स.	की संस्तुति निम्नवत् है:- पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	41st Payment Certificate/ Bill-March- 2023	42 th Payment Certificate/ Bill- April - 2023	43 th Payment Certificate/ Bill- May- 2023	को अनुबंध के अनुरू एवम् नियमानुसा कार्यवाही करने व निर्देश दिये गये।
	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7,80,20,933.00	7,39,97,135.00	7,46,31,760.00	
	2	जी.एस.टी. (18%)	1,40,43,768.00	1,33,19,484.00	1,34,33,717.00	
	3	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	2,05,596.00	6,05,941.00	15,27,479.00	
	4	उ०प्र० जल निगम को देय सेंटेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	78,02,093.00	73,99,714.00	74,63,176.00	
	5	योग (1+2+3+4)	10,00,72,390.00	9,53,22,274.00	9,70,56,132.00	
	6	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	0			
	7	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		2,02,58,437.50		

The distance of the second

एजेण्डा सं0	ओ०	एम०एण्ड एम० सेल की सं	स्तुति अथवा प्रस्त	गव / विवेचना		समिति द्वारा दिये गये निर्देश
5 / आगरा	ओ०प अनुम् क्लॉ पर :	0 जल निगम द्वारा माह एम०एण्ड एम० सेल द्वारा व मित से फर्म द्वारा माह ज—6.6 के अनुसार 75 प्रा अध्यक्ष महोदय द्वारा सहर्मा 0 जल निगम (नगरीय) ह की संशोधित संस्तुति निम	समिति द्वारा धनावंटन की संस्तुति तथा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) /नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप एवम् नियमानुसार			
	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	40 th Payment Certificate / Bill – March, 2023	41 st Payment Certificate / Bill – April, 2023	Certificate / Bill – May, 2023	कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
		पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3,47,21,737.00	3,48,05,517.00	(Adhoc Payment) 2,57,67,721.00	
	2-	जी.एस.टी. (18%)	62,49,913.00	62,64,993.00	46,38,190.00	1
	3-	पयूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	5,70,661.00	1,96,469.00	4,02,470.00	
	4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	34,72,174.00	34,80,552.00	25,76,772.00	
	5-	योग (1+2+3+4)	4,50,14,485.00	4,47,47,531.00	3,33,85,153.00	
	6-	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		12,31,47,169.0	00	
	7-	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		2,02,58,437.50		

6 CEN

एजेण्डा सं0	ओ०प	रम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अध	समिति द्वारा दिये गये निर्देश		
6/ गोरखपु र	के र में अ के र किय उ०प्र	0 जल निगम द्वारा माह—फरवरी—; तत्यापित बिलों पर ओ०एम०एण्ड एर ध्यक्ष महोदय की अनुमति से फर्म नेक्शन—vi, क्लॉज—6.6 के अनुस ा गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्व 0 जल निगम (नगरीय) द्वारा प्रेष्टि की संशोधित संस्तुति निम्नवत् हैं:-	क्रम की संस्तुति तथा उ०प्र० नुबंध जल निगम (नगरीय) नुरोध /नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक, जलकल को अनुबंध के अनुरूप		
	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	42 th Payment Certificate / Bill — February, 2023 (Balance Payment	43 th Payment Certificate / Bill – March, 2023	निर्देश दिये गये।
	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	15,65,876.00	87,13,827.00	
	2	जी०एस०टी० (18%)	2,81,858.00	15,68,489.00	
	3	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	31,400.00	58,526.00	
	4	उ०प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	1,56,588.00	8,71,383.00	
	5	योग (1+2+3+4)	20,35,722.00	1,12,12,225.00	arin la
	क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल का विवरण	44 th Payment Certificate / Bill — April, 2023	45 th Payment Certificate / Bill — May-2023 (Balance Payment)	
	1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	88,92,713.00	65,29,508.00	
	2	जੀ0एस0टी0 (18%)	16,00,688.00	11,75,311.00	J
	3	प्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	40,518.00	1,49,193.00	

A

10V

Cz II

एजेण्डा सं0	SHOCK	१०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अध	थवा प्रस्ताव/विवेच	ना		समिति द्वारा दिये ग निर्देश
		उ०प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज∕सुपरवीजन चार्जेस (10%)		6,52,951.00		
	5	योग (1+2+3+4)	1,14,23,190.00	85,06,963.00		
	1 2 2	उ०प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	3,31,78	3,100.00		
	3	आवंटित की जाने वाली अनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल नेगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,92,44	,559.65		
(vii), (viii) (ix) एवं	निगम	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी	वन ऑपरेटर से	सम्बन्धित परिय	गोजना	की संस्तुति त
(viii)	निगम प्रबन्धव को पर्स विद्युत द्वारा स	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ह / अधिशासी अभियन्ताओं द्वार रोक्षणोपरान्त व संस्तुति के सा बिल पर धनावटंन हेतु अनुरोध महमति दी गयी।	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है व्य किया गया, जि	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव तस पर अध्यक्ष म	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० र निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु
(viii) (ix) एवं	निगम प्रबन्धव को पर विद्युत द्वारा स ओ०एम	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ह / अधिशासी अभियन्ताओं द्वार रोक्षणोपरान्त व संस्तुति के सा बिल पर धनावटंन हेतु अनुरोध महमति दी गयी। जिएण्ड एम० सेल की संस्तुति है जोन का नाम	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है व्य किया गया, जि	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव तस पर अध्यक्ष म	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० व निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु के अनुरूप ए
(viii) (ix) एवं	निगम प्रबन्धव को पर्स विद्युत द्वारा स	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ह / अधिशासी अभियन्ताओं द्वार विक्षणोपरान्त व संस्तुति के सा बिल पर धनावटंन हेतु अनुरोध वहमति दी गयी। जिएण्ड एम० सेल की संस्तुति वि जोन का नाम	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है व्य किया गया, जि	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव तस पर अध्यक्ष म	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० द निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु के अनुरूप ए नियमानुसार कार्यव करने के निर्देश वि
(viii) (ix) एवं	निगम प्रबन्धव को पर विद्युत द्वारा स ओ०एम	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ह / अधिशासी अभियन्ताओं द्वार रोक्षणोपरान्त व संस्तुति के सा बिल पर धनावटंन हेतु अनुरोध महमति दी गयी। जिएण्ड एम० सेल की संस्तुति है जोन का नाम	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है य किया गया, जि निम्नवत् है:— आवंटित की ज	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव तस पर अध्यक्ष म	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० त निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु के अनुरूप ए नियमानुसार कार्यव
(viii) (ix) एवं	निगम प्रबन्धव को पर विद्युत द्वारा स ओ०एम	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ह / अधिशासी अभियन्ताओं द्वार विक्षणोपरान्त व संस्तुति के सा बिल पर धनावटंन हेतु अनुरोध वहमति दी गयी। जिएण्ड एम० सेल की संस्तुति वि जोन का नाम	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है व किया गया, जि निम्नवत् है:— आवंटित की ज	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव स्स पर अध्यक्ष म गाने वाली धनराहि	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० व निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु के अनुरूप ए नियमानुसार कार्यव करने के निर्देश वि
(viii) (ix) एवं	निगम प्रबन्धव को पर विद्युत द्वारा र औ०एम क्र ०स 1	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ह / अधिशासी अभियन्ताओं द्वार विक्र पर धनावटंन हेतु अनुरोध बहमति दी गयी। विष्णण्ड एम० सेल की संस्तुति ह जोन का नाम 2 आगरा जोन	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है व किया गया, जि निम्नवत् है:— आवंटित की ज	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव तस पर अध्यक्ष म जाने वाली धनराहि 3	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० त निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु के अनुरूप ए नियमानुसार कार्यव करने के निर्देश वि
(viii) (ix) एवं	निगम प्रबन्धव को पर विद्युत द्वारा स औ०एम क्र ०स 1	सचिव द्वारा अनुरोध करते हु (नगरीय) द्वारा वन सिटी क ि अधिशासी अभियन्ताओं द्वार् क्षिणोपरान्त व संस्तुति के सा बिल पर धनावटंन हेतु अनुरोध सहमति दी गयी। जोन का नाम 2 आगरा जोन गाजियाबाद जोन	वन ऑपरेटर से रा अपने क्षेत्रान्तग्थ प्रेषित किया है च किया गया, जि निम्नवत् है:— आवंटित की ज 1,98,5 5,83,2	सम्बन्धित परिय ति प्राप्त विद्युत । सदस्य सचिव तस पर अध्यक्ष म जने वाली धनराहि 3 4,376.74	गोजना बिलों द्वारा होदय	की संस्तुति त संबंधित मु अभियन्ता, उ०प्र० व निगम (नगरीय)/न आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल/अधिशासी अधिकारी को अनु के अनुरूप ए नियमानुसार कार्यव करने के निर्देश वि

M

8

एजेण्डा सं0	ओ०एम०एण्ड एम० सेल की संस्तुति अथवा प्रस्ताव/विवेचना	समिति द्वारा दिये गये निर्देश
xi	मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव द्वारा पिन्पंग स्टेशनों हेतु मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की SOP में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की संस्तुति की जाती है:—	समयाभाव के कारण विचार नहीं किया गया तथा आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
	 रु० ५०.०० लाख की सीमा तक उक्त प्रस्ताव/ आगणन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। 	
	• रु० 50.00 लाख से अधिक के प्रस्ताव/आगणन का परीक्षण पी०पी०आर०बी०डी० सेल जल निगम से कराने के पश्चात तकनीकी स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम की अध्यक्षता की समिति द्वारा प्रदान की जाएगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगें।	
	1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) — अध्यक्ष 2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	
	 सदस्य अभियन्ता, पी०पी०आर०बी०डी०, सेल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) — सदस्य क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता / मु०अभि० (वि० / यां०), उ०प्र० जल निगम — सदस्य सचिव मुख्य अभि०, ओ०एम०एण्ड एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय — सदस्य कन्सल्टेंट, ओ०एम०एण्ड एम० सेल, नगरीय निकाय निदेशालय — विशेष आमंत्री अतः उक्त अनुरोध पर समिति सुविचारित निर्णय लेना चाहें। 	

If a

G2 0

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संबंधित शासनादेशों एवं अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया जाए। साथ ही निर्देश दिये कि प्रभावी अनुश्रवण हेतु जलकल / उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा सीवर कार्यों का एवं एस०टी०पी० / पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए तथा शासनादेश संख्या—1958 / नौ—9 —22—89ज / 2001 टी०सी०—1, नगर विकास अनुभाग—9 दिनांक 27.09.2022 के बिन्दु संख्या—5 का अनुपालन किया जाये।

(राजवीर सिंह) सदस्य-सचिव

मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल. नगरीय निकाय निदेशालय, उ০प्र०, लखनऊ

(अखिल सिंह)

सदस्य

उप/सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय. उ०प्र०, लखनऊ

उै0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

(डॉं० नितिन बंसल)

सदस्य

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

(अनिल ढ़ींगरा)

सदस्य,

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र0 जल निगम (नगरीय),

लखनऊ

नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ

तालिका-1

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	गोरखपुर जोन	आगरा जोन	गाजियाबाद जोन	लखनऊ जीन	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	2,57,01,924.00	9,52,94,975.00	24,47,89,451.00	22,66,49,828.00	59,24,36,178.00
2	जी०एस०टी० (18%)	46,26,346.00	1,71,53,096.00	4,40,62,100.00	4,07,96,969.00	10,66,38,511.00
3	फ्यूल चार्जेस (As per actual Certified by UPJN)	2,79,637.00	11,69,600.00	31,05,050.00	23,39,016.00	68,93,303.00
4	उ०प्र० जल निगम को देय सेंटेज / सुपरवीजन चार्जेस (10%)	25,70,193.00	95,29,498.00	2,44,78,945.00	2,26,64,983.00	5,92,43,619.00
5	योग (1+2+3+4)	3,31,78,100.00	12,31,47,169.00	31,64,35,546.00	29,24,50,796.00	76,52,11,611.00
6	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,92,44,559.65	2,02,58,437.50	2,02,58,437.50	2,02,58,437.50	8,00,19,872.15
7	विद्युत बिल	51,81,551.00	1,98,54,377.00	5,83,24,189.00	15,63,17,200.00	23,96,77,317.00
8	उ०प्र0 जल निगम को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि (5+7)	3,83,59,651.00	14,30,01,546.00	37,47,59,735.00	44,87,67,996.00	1,00,48,88,928.00

